are raw materials for experiments by the State Governments, curricula are changed. Even now, after going through this report, I do not find that there is a definite scheme about this question of medium of instruction.

I would like to offer a concrete suggestion. I for one would desire that we must have a *lingua indica* or a national Indian language of our own. But let us understand perfectly clearly that if we are going to catch up with the progress of the world we will have to depend on English; because we are acquainted with that language and that language is rich enough to provide us a living contact with world thoughts and scientific developments in the world. Even China has adopted the Latin script and a second language, Russian, in order to catch up with the progress that has been achieved in the scientific field in Russia. With this point clearly understood, what I would like to say on this matter is this. Certainly let us make a beginning, but do not make a beginning anywhere in a half-hearted manner, nor, like the mixed economy, have some sort of mixture—at a certain stage, English, at a certain other stage, the regional language and at a certain other stage, Hindi. I would suggest that if regional languages are developed and ripe enough, then certainly have institutions and universities where purely the regional language is followed as the medium of instruction, but no mixture either this side or that side . . .

Mr. Chairman: It is 5 o'clock. He many continue tomorrow. The House will take up the next item of business.

17 hrs.

EMPLOYEES' PROVIDENT FUND SCHEME*

श्री काशीनाथ पांडे (हाता) : समापति महोदय, मैं आपका ध्यान प्राविडेंट फंड के बकाया के सम्बन्ध में दिलाना चाहता हूं जो अभी मिल वालों के जिम्मे बाकी है। मैंने हाउस में एक सवाल किया था। उस स्टार्ड क्वैश्चन नं० १८२० के जवाब में माननीय श्रम मंत्री ने बतलाया था कि जो रुपया प्राविडेंट फंड की मद में इकट्ठा हुआ है वह ११ करोड़ है। उसे देखते हुए जो रुपया बाकी है वह केवल १·६ परसेन्ट होता है। सवाल यह है कि देखने में यह अमाउंट बहुत कम मालूम होता है, लेकिन मैंने जो आंकड़े इकट्ठे किये हैं उन को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि यह रुपया २.५४ करोड़ है जो कि एम्प्लायर्स के जिम्मे बाकी है। आप सोचें कि प्राविडेंट फंड की स्कीम इसलिये रक्खी गई है कि मजदूरों को बुढ़ापे के वक्त में कुछ सहारा मिले, जो लोग रिटैंच हो जाते हैं उन को कुछ पैसा मिले। अगर वह सहारा उन को न रहे तो इस प्राविडेंट फंड की स्कीम से क्या लाभ ? यह बात हो सकती है कि जो टोटल रुपया है उस को देखते हुए बकाया की रकम बहुत थोड़ी है, लेकिन आप ख्याल करें कि जब से रुपया बाकी है इस बीच में बहुत से मजदूर मर गये, बहुत से नौकरी से अलग हो गये और उन को इस का कोई फायदा नही मिला। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि कितना रुपया हर प्रदेश में बाकी है : आंध्र में ५·९२ लाख, बम्बई में ७१·७२ लाख, वैस्ट बंगाल में ६१·६२ लाख, मध्य प्रदेश में ५२·४९ लाख, उत्तर प्रदेश में २३·११ लाख और बिहार में, जो कि टेक्सटाइल की दृष्टि से एक छोटा मोटा प्राविंस है, ४·९९ लाख। मैंने जो इस का टोटल किया हुआ है वह २५४ लाख होता है। मैं उस समय भी इस बात को हाउस के सामने रखना चाहता था कि यह मामला कितना गम्भीर है क्योंकि उन लोगों के लिये जिनका रुपया मालिकों ने सरकार के हां जमा नहीं किया है कोई सहारा नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में ३०,००० मजदूर ऐसे हैं जिन्होंने शुरू से अपना पैसा कटवाया

*Half-an-Hour Discussion.

[श्री काशीनाथ पांडे]

है, लेकिन चूंकि वह प्राविडेंट फंड में नही जमा हुआ है इसलिये आज मजदूरो को प्राविडेंट फंड का कोई फायदा नहीं पहुच रहा है। इसी तरह से मैं समझता हू कि जो ७१ लाख, ६१ लाख या ५२ लाख रुपया जो अन्य प्रांतों में बाकी है वह उन लाखो गरीब मजदूरो का है जिन का कोई पुरसां हाल नही है।

आज जो भी रुपया बाकी है, मैं बतलाना चाहता हू कि वह खास तौर से टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ज्यादा है। आप यह देखिये कि जहा आन्ध्र में टोटल अमाउंट जो कि इम्प्लायर्स के ऊपर बाकी है वह ५·१२ लाख है वहा केवल टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर ५·०४ लाख बाकी है। बम्बई में जहा टोटल बाकी है ७१·७२ लाख, इस में से ७०·५५ लाख सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर है, बिहार में जहा टोटल बाकी ४·६६ लाख है केवल टेक्सटाइल पर ३·७० लाख बाकी है। मध्य प्रदेश में जहा पर टोटल बाकी है ५२·४६ लाख, वहा टेक्सटाइल पर बाकी है ५०·७ लाख, मैसूर में जहा टोटल बाकी है ४ २६ लाख, वहा टेक्सटाइल पर बाकी है २ ४८ लाख। इसी तरह उडीसा में जहा टोटल ५·१ लाख है, टेक्सटाइल के जिम्मे ४·७८ लाख बाकी है। यू० पी० में जहा टोटल बाकी है २३·११ लाख, २१ ७४ लाख रुपया टेक्सटाइल पर बाकी है। कानपुर में तीन मिलें वहा बन्द हैं और मजदूर दाने दाने को तरस रहे हैं। लेकिन कोई भी उन का पुरसा हाल नहीं है। हम को माननीय श्रम मंत्री ने बतलाया कि हम प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं बकाया रुपया वसूल कर लेने की।

आज सवाल यह है कि उन्होंने बतलाया कि सिर्फ १·६ परसेन्ट ही टोटल अमाउंट का ऐसा धन है जो कि मिल मालिको के पास बाकी है। लेकिन यह १·६ परसेन्ट मजदूरों के हित को कितना एफेक्ट कर रहा है। जो गरीब मजदूर अपने महीने के पैसे में से हर महीने में १ आ० ६० के हिसाब से कटवाता है, उस हद तक उस के बच्चों को कुछ न कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है। कोई काम पड़ने पर या समय पूरा होने पर इस तरह से जो पैसा मजदूर को मिलना चाहिये, अगर वह उसे नही मिलता है तो फिर गवर्नमेंट की स्कीम से उन मजदूरो को क्या लाभ हो सकता है? दरअसल यह प्राविडेंट फंड की स्कीम जो गवर्नमेंट ने लागू की है उस के लिये सारे भारत के मजदूर गवर्नमेंट के कृतज्ञ हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह लाखों लोगों का मसला है, इस को मामूली सा मामला कह कर टाल दिया जाता है। कह दिया जाता है कि टोटल अमाउंट का १·६ परसेन्ट ही तो है। इस सम्बन्ध में मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हू कि आप एम्पलायर्स को देखिये। बहुत से एम्पलायर्स ऐसे हैं जो मजदूरो के इस रुपये को आमदनी के दूसरे कामो में लगाते हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करते हैं। यू० पी० के २३ लाख में से २० लाख रुपया कानपुर में बाकी है। क्या आप सोचते हैं कि उन्होने वह रुपया किसी बैंक में जमा किया है, उन्होने कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी है, उन्होने गवर्नमेंट की किसी प्लैन में लगाया है? उन्होने उस रुपये को दूसरी इंडस्ट्रीज में लगाया है और लाखो रुपये उस से पैदा किये। वह यह नही करते कि जो मजदूर की तनख्वाह का रुपया है वह सरकार के खजाने में दाखिल कर दें ताकि उन मजदूरो को जिन्होंने पैसा इकट्ठा किया है, उन को उस का लाभ मिल सके। मैं समझता हूं कि सरकार कोशिश करती है, प्रोसिक्यूशन भी करती है। मैं ने पता लगाया है कि वह उन से जो पैसा वसूल करती है उस पर ६ परसेन्ट इंटरेस्ट भी चार्ज करती है, लेकिन मजदूरों का जो पैसा गवर्नमेंट के पास जमा है, उस पर वह ३ ३/४ परसेन्ट ही इंटरेस्ट देती है। हालांकि वह मिल मालिकों से ६ परसेन्ट इंटरेस्ट चार्ज करती है क्योंकि उन्होंने प्राविडेंट फंड का पैसा जमा नहीं किया, लेकिन फिर

भी मिल मालिकों के कानों पर जूं नहीं रेंगती है। वे सोचते हैं कि उन को दूसरे रोजगारों से ज्यादा पैसे मिल जायेंगे, गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा ६ परसेन्ट ही तो लेगी। यह मजबूरी है और मैं नहीं समझ पाता कि यह दिक्कत कैसे हल हो।

मैंने एक चीज देखी कि प्रजातंत्र में हर चीज वैधानिक तरीके से होगी, अगर कोई रुपया बाकी है तो हम सरकारी अदालतों में जायेंगे और इस तरह से उस की रिकवरी की कोशिश करेंगे। लेकिन कानून में भी कुछ ऐसा संशोधन होना चाहिये जिस से इस तरह का रुपया वसूल करने में आसानी हो। मैंने देखा कि यू० पी० में केन एक्ट बना हुआ है। उस में यह है कि अगर किसानों को गन्ने का दाम समय पर मिल मालिक ने नहीं दिया तो वहा केन कमिश्नर को हक है कि वह सर्टिफिकेट ईश्यू कर दे। वहा पर तरीका यह हो गया है कि अगर केन कमिश्नर सर्टिफिकेट ईशू कर दे तो मिल मालिक की पूरी चीनी अटैच हो जाती है। अगर यहा पर लाखो का फायदा उठाने पर भी आप सिर्फ इस रुपये की रिकवरी उसी पुराने तरीके से करना चाहते हैं तो वह मालिक जिन्दगी भर इसी तरह से मजदूर को सताता रहेगा। इस लिये मैं आपसे कहना चाहता हू कि आप अपने एक्ट में भी कुछ संशोधन कीजिये, और प्राविडेंट फंड कमिश्नर्स को भी यह अधिकार दीजिये कि वह अपने सर्टिफिकेट्स ईश्यू कर सकें और जिस तरह से लैंड रेवेन्यू रियलाइज होती है उसी तरह से यह प्राविडेन्ट फंड का रुपया भी वसूल होना चाहिये।

इस के बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि इस ६ परसेन्ट से तो मिल मालिकों के कानों पर जू भी नहीं रेंगती। इसलिये मेरा सुझाव है कि आप कुछ इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ाइये। तभी शायद उन को ख्याल हो कि प्राविडेन्ट फंड के रुपये को रखने से उन का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब मेरा कहना सिर्फ यह है कि यह बात ठीक है कि सरकार को दिक्कतें हैं। मैं उस की दिक्कतों को समझता हूं, लेकिन बेचारे मजदूरों को रिलीफ देने के लिये कुछ होना चाहिये जिन का रुपया काटा गया है। आज उन को रिलीफ नहीं मिल रहा है। मैं समझता हू कि सरकार के पास ऐसे तरीके हैं जिन से उन को रिलीफ दिया जा सकता है।

मैं जो फीगर्स दे रहा हूं उससे आपको ज्ञात होगा कि मेरी बातों में तथ्य है। सन् १९५७ में टोटल कलेक्शंस प्राविडेंट फण्ड की मद में १०१ करोड़ रुपये हुआ है और जो क्लेमेंट्स हुए हैं जिन्होंने कि रिफण्ड क्लेम किया है उनकी संख्या ३२,१९४ थी। क्लेम के निमित्त केवल १ करोड़ रुपया उनको दिया गया है। इस वक्त सरकार के पास एक ऐसा फण्ड जिससे कि हम समझते हैं कि रिकवरी चाहे मिल मालिको से कभी भी हो वह बगैर किसी मजदूर के पैसे को छुए उस फण्ड से उन मजदूरों को लाभ पहुंचा सकते हैं जिनका पैसा कटा हुआ है तथा जिनका ड्यू है और जिनको पैसा मिल नहीं पा रहा है सरकार ३ परसेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और इन्स्पेक्शन चार्जेज काटती है और इस तरह का रुपया उनके यहां १९५८ तक जो रुपया जमा था १ करोड़ ५९ लाख होता है जिसमें से उन्होंने ९६ लाख ७० हजार खर्च किया है और उनके पास बाकी है ६२ लाख ३० हजार रुपया। अगर हम देखें तो पायेंगे कि आउट आफ १०१ करोड़ केवल एक परसेंट ही ऐसे क्लेमेंट्स हैं और अगर १ करोड़ ही उन्होंने दिया है तो इसका मतलब यह होता है कि जब २५४ लाख रुपया बाकी है तो उसमें से कुछ लाख ही रुपये के लिये क्लेमेंट्स होंगे जिनका कि रुपया बकाया है। मैं समझता हूं कि ६२ लाख के अलावा और भी एक फण्ड है क्योंकि मिल मालिक लोगों से प्राविडेंट फण्ड के निमित्त जो पैसा वसूल होता है वह सभी पैसा मजदूरों

[श्री काशीराम पांडे]

को नहीं मिलता है क्योंकि १५ साल की सर्विस न हुई हो तो उसका टोटल एमाउण्ट एम्पलायर्स से नहीं मिलता। कम साल काम करने के बाद अगर मजदूर चला गया तो कुछ परसेंट सरकार के पास रह जाता है और इस तरीके से फोरफिटेड एकाउण्ट १० लाख ५८ हजार का हो जाता है। अब अगर आप देखें तो करीब ७३ लाख रुपया सरकार के पास मौजूद हैं लेकिन सरकार यह इन्तजाम नहीं करती है, कोई ऐसा रिजर्व फण्ड पैदा करे ताकि उन मजदूरों को जो कि हिन्दुस्तान भर में दुखी हैं और जो कि यह समझते थे कि इस तरह का प्राविजन हमारे बुढ़ापे में सहायक होगा प्राविडेन्ट फण्ड का लाभ मिल जाए। आज जब मौका आता है तो उनको पैसा नहीं मिलता। मैं तो सरकार से अपील करूंगा कि वह इसके वास्ते एक रिजर्व फण्ड बनाये क्योंकि उससे किसी आदमी के फण्ड के ऊपर किसी का असर नहीं होता है और मजदूरों को उनका पैसा मिल जाता है। मेरा ख्याल है कि मुश्किल से उन आदमियों का जिनका कि केस मैं हाउस के सामने रख रहा हूं कुछ लाख रुपया हर साल समय पर देना पड़ेगा। इसलिये मेरा ख्याल है कि जो रुपया सरकार के पास है वह इतना काफी है कि उससे उन आदमियों की जो मांग है जो उनकी जरूरयात हैं उससे मीट किया जा सकता है। सरकार के हाथ में अख्त्यार है कभी भी बकाया वसूल कर सकती है। यह नहीं हो सकता कि मिल मालिक के पास वह सदैव जमा रहेगा। हो सकता है कि एक साल लग जाय दो साल लग जायें। दो साल के अन्दर वह रिएलाइज हो सकता है। इस बीच में उन मजदूरों का काम चल सकता है। मैं इससे ज्यादा न कह कर माननीय श्रम मन्त्री से अपील करूंगा कि जरूरत इस बात की है कि इसके लिये उचित व्यवस्था की जाय क्योंकि आज जहां बहुत से मजदूर आपको इसके लिए धन्यवाद देते हैं कुछ ऐसे हैं जो आपसे असन्तुष्ट हैं। प्राविडेन्ट फण्ड स्कीम लाकर आपने अच्छा ही किया है पर आपको उन लोगों पर ध्यान देना आवश्यक है जो दुखी हैं और जिन्हें इस स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है।

Mr. Chairman: I want to know as to how much time the hon. Minister will take.

The Deputy Minister of Labour (Shri Abid Ali): About twelve minutes.

Shri Balkrishna Wasnik (Bhandara—Reserved—Sch. Castes): Mr, chairman, Sir, my hon. friend, Shri Pandey, has rightly brought this question before this august House. It is very necessary to take immediate action in this matter. A benefit which does not reach the worker, when it is meant to reach him, is useless. The figures have been extensively quoted by Shri Pandey and I would not repeat them. I would like to quote one instance and that is of the Model Mills, Nagpur. It has been reported in the Press and it has also been alleged by several trade union leaders of Nagpur that about Rs. 30 lakhs have been bungled by the management of this mill. It is gross mismanagement. It is very necessary that a thorough investigation should be made into the accounts of the mills. I wish that the Government should set up a machinery to investigate the accounts of these mills. I had a talk with the auditors who are engaged by these mills. They are private auditors. They have told me that there is hardly any entry in the account books of the mills which goes without a query. They have to ask various things about

that entry from the mill management and many a time, they do not get a convincing reply from the management. The Government should arrange for the auditing of these accounts even if they are audited by the private auditors. If the Government take this into their hand, I think many of the loopholes that are in the accounts of the mills can be brought out in the public.

I think the Government should have also a machinery to take over such mills which often do the bungling. The Government should seriously consider this proposal and keep ready with them an army of able officers to run the mills if they are taken over I think the Government should consider this If the managements feel that there is nobody to take over their mills or their management, they can go on doing these things It is people's money; it is workers' money This should be taken care of If the Government does not take care of these things, I cannot say what will happen to this problem.

I thank you for giving me time to speak.

श्री विभूति मिश्र (बगहा) अभी सदन में बतलाया गया कि मजदूरों का इतना पैसा बाकी है और हमारे मन्त्री महोदय कहते हैं कि १ ६ करोड़ बाकी है तो मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हू कि अगर साइकिल में एक पैसे वाला बाल टयूब भी खराब हो जाता है तो उसके रिप्लेस किये बिना २००, ४०० रुपये की साईकिल खराब हो जाती है तो अब यह जो १.६ करोड़ रुपये बाकी है उसको मजदूरों को दिलवाने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? इस सम्बन्ध में मैंने १८२० नम्बर के प्रश्न और उसके उत्तर को पढ़ा है। मैं चाहता हूं कि सरकार कोई ऐसा क़दम उठाये और कोई ऐसी व्यवस्था करे ताकि मजदूर लोगों का पैसा शीघ्रातिशीघ्र रिएलाइज हो और जो मजदूरों का कंट्रीब्यूशन है और जो मिल मालिकों का कंट्रीब्यूशन है इन दोनों का कंट्रीब्यूशन सरकार के खजाने में जमा रहे और सरकार उसको उचित सूद के साथ जब मजदूर काम छोड़े तो उसे दे।

दूसरी बात यह है कि जो मिलें लिक्विडेशन में जाती हैं उन में मजदूरों का जो कंट्रीब्यूशन होता है उसे मिल से चार्ज कर के दिलवा दिया जाय।

श्री आबिद अली : श्रीमान्, मिश्रा जी ने जो फरमाया वह बिल्कुल ठीक है। कोशिश तो यही है कि जो पैसा मजदूरो से वसूल किया जाता है और जो हिस्सा मिल मालिको ने प्राविडेंट फंड के सम्बन्ध में देना है, वह वसूल किया जाय। मेरे मित्र ने पूछा है कि कुछ मुकद्दमे दायर किये जाते हैं या नहीं और गवर्नमेंट क्या करती है तो इस बारे में मैं उन को अर्ज करूं कि २६१६ मुकद्दमे दायर किये गये हैं जिन में से १४६० में तो सुलह भी हो गई है यानी जो पैसा वसूल करना था वह वसूल हो गया और हमारी कोशिश यही है कि तमाम पैसा वसूल हो जाय और जैसा कि माननीय सदस्य ने फरमाया है कि वह तमाम पैसा वसूल कर लिया जाय और जिस काम के लिये वह वसूल किया जाता है उस में उस का उपयोग हो। यह बात नहीं है कि प्राविडेंट फंड का पैसा मालिको के पास रक्खा रहता है। कायदे के अनुसार जो पैसा वसूल होता है उस को ज्यादातर गवर्नमेंट सिक्युरिटी में फौरन दे देना चाहिये। और इस बारे में हर महीने उन से तफसील मंगायी जाती है। फैक्टरियो का मुआइना भी किया जाता है। अब पांडे जी ने यह फरमाया कि गवर्नमेंट ज्यादा चुस्ती से काम करे तो इस में कोई दो ख्याल हो ही नहीं सकते। मगर मुश्किल यह होती है कि अगर कोई कारखानेदार पैसा देने में जरा भी देर करे और फौरन हम कारखाने को कुर्क कर लें, बेच डालें, तो नतीजा यह होगा कि वहां जो लोग काम करते हैं वे बेकार हो जायेंगे

Shri Naushir Bharucha: They have not taken action against certain factories.

श्री आबिद अली : वह हमें नहीं करना है। एक अच्छा व्यापारी यह नहीं करता कि जिस से उसे पैसे वसूल करने हैं उस के व्यापार को खत्म कर दे। वह तो उसकी मदद करता है ताकि उस का व्यापार अच्छा हो और कर्जा भी अदा हो जाय। मगर कभी कभी जब मजबूरी हो जाती है तब कारखानों को कुर्क करना पड़ता है जो कि हम ने किया है। जो दोस्त जलगांव से आते हैं उन्होंने फरमाया कि हम ने कुछ नहीं किया। हम ने १४० करोड़ पैसा तो जमा किया है।

Shri Naushir Bharucha: They relate to a subsequent period.

श्री आबिद अली : कुछ पैसा जमा नहीं हुआ है, यह तो ठीक है। हम कोशिश कर रहे हैं कि उस को जमा कर लें। पर १४० करोड़ तो हम ने जमा कर लिया है तो उस का भी ख्याल करना चाहिये। वह पैसा मजदूरों के खातों में जमा हो चुका है।

एक बात जो मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वह ध्यान में रखें, वह यह है कि जब प्राविडेंट फंड स्कीम लागू की गयी कारखानों पर, उस वक्त कुछ डिफाल्ट में थे। इस में जो करीब ढाई करोड़ रुपया बकाया का आप देख रहे हैं इस में स्कीम लागू होने से पहले का बकाया भी शामिल है। उस के तो हम जिम्मेवार नहीं हो सकते हालांकि हम ने उस जमाने का पैसा भी वसूल करने की कोशिश की है और यह करना हमारा काम है। यह कर के हम ने किसी पर एहसान नहीं किया है और हम यह करते रहेंगे और हमारी कोशिश जारी रहेगी कि मजदूरों का एक एक पैसा वसूल हो और जब तक वह वसूल नहीं होता है तब तक उस की बराबर हिफाजत हो। इस सिलसिले में मेरा यह कहना है कि जो माननीय सदस्य बोले और जो गुस्सा हो रहे हैं उन में और हम में इस बारे में कोई मतभेद नहीं है। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं हो रही है। मगर वह हम से इस की तफसील ले लें तो मुझे यकीन है कि उन को भी इस बात का विश्वास हो जायगा कि उन के गुस्से की कोई आवश्यकता नहीं है।

हमारे भाई नागपुर के माननीय सदस्य ने बतलाया कि माडल मिल में ३० लाख रुपये बाकी रह गये हैं। यह ठीक नहीं है। माडल मिल में ६ लाख ५० हजार रुपया बाकी है। लेकिन उस की एक वजह है जो मैं अर्ज कर चुका हूं। वह यह है कि हमारी हर तरह यही कोशिश है कि प्राविडेंट फंड का पैसा वसूल होता रहे और कारखाना भी चलता रहे। जब कभी मजबूरी हो जाती है तो दूसरी बात है।

बुढ़ापे में सहारे के लिये या कमाने वाले का देहान्त हो जाने पर खानदानों को सहारा हो यही तो मतलब है प्राविडेंट फंड का और वह उद्देश्य पूरा होना चाहिये। मगर उसमें किसी की वजह से कोई कमी होती है तो वह मुजरिम है और उस के खिलाफ कार्यवाही की जाती है। हम ने तो इस सिलसिले में इंडियन पीनल कोड के सेक्शन का भी उपयोग किया है और हम यह सोच रहे हैं कि इस के लिये सख्त से सख्त सजा का प्राविजन किया जाये ताकि कम से कम प्राविडेंट फंड का पैसा तो मालिक देने में न हिचकिचायें बल्कि उत्सुकता से दाखिल कर दिया करें।

पांडे जी ने साढ़े ६ परसेंट के बारे में फरमाया। यह तो ठीक है कि एक्ट के लिहाज से सवा छः परसेंट मिनिमम है लेकिन जब जरूरत होती है तो ज्यादा भी जुरमाना लगाया जाता है डिफाल्टर के ऊपर और कोशिश की जाती है कि रकम के कम होने की वजह से कोई मालिक अपने पास पैसा न रख के जो कि उस का हिस्सा है। यहां तक कि २५ फीसदी तक यह जा सकता है।

दूसरे जिक्र किया गया केन्द्रीय कमिश्नर की पावर्स का कि वह सरटिफिकेट दे देता है और रेवेन्यू प्रासेस के जरिये बकाया वसूल हो जाता है। ऐसा ही यहां भी चाहा गया है। यह बहुत अच्छी चीज है। हम इस पर विचार करेंगे। माननीय सदस्य घूमते रहते हैं। अगर कोई और कमी देखें या उन के पास कोई सूचना आये कि हमारे काम में कहीं गलती या कमजोरी है तो वह बगैर सकोच के हमें लिखें और मैं उन को यकीन दिलाता हू कि मैं उस पर विचार करूंगा। जब इस बारे में कोई मतभेद नही है जो वर्कर्स का पैसा है वह वसूल होना चाहियें और उन के लिये उस का उपयोग होना चाहिये। इस में तो किसी किस्म की दो रायो की गुंजाइश ही नही है और न गुस्से की जरूरत है। में वादा करता हू कि जो भी सूचना मेरे पास आयेगी उस पर जहा तक जल्द हो सकेगा अमल जरूर करूगा। हम यह सोच रहे हैं कि इडियन पीनल कोड के किसी सेक्शन का इसमें अमल हो और ज्यादा से ज्यादा सजा रखी जा सके। ताकि तमाम फड का दुरुपयोग न हो सकें। अगर हम जरूरत समझेंगे तो इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट भी करेंगे।

कहा गया कि बहुत से वर्कर अलग हो गये उनको नही मिला। हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा। करीब २५ लाख हमारे सदस्य है। और १४० करोड वसूल हुआ है और ढाई करोड़ वसूल नही हुआ है।

आपने फरमाया कि बहुत दिनो से माडेल मिल में मजदूरो को वेतन नही मिला। इस के बारे में बम्बई की गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन की है और हमने उसको मजूर कर लिया है और पिछले महीने वर्कर्स की पहली किश्त अदा कर दी गयी है प्रावीडेंट फड से। कारखाना नही चल रहा है और प्रावीडेंट फड से उनको कर्ज दिया गया है। जहा वरकर्स को वेतन के मामले में तकलीफ होती है कारखाना बन्द हो जाने से या किसी दूसरी वजह से वहां वरकर्स की इच्छा के अनुसार बतौर कर्ज के प्रावीडेंट फंड में से रुपया दे दिया जाता है ताकि उनका कारखाना चलता रहे और वह बाद में कर्ज को अदा कर दें।

पाडे जी ने फरमाया कि आप लेते हैं ६ परसेंट पर पर देते हैं चार परसेंट। हम जो भी लेते है वह फड में जमा होता है। गवर्नमेंट की एजेंसी जरूर हैं और जो प्रावीडेंट फड के ट्रस्टी है उनके सलाह मशविरे के काम होता है लेकिन जो भी रुपया आता है वह जमा होता है फड में उसका एक पैसा भी सरकार के कन्सालीडेटेड फड में या किसी दूसरे फड में नही लिया जाता है।

जहा तक रिजर्व का सवाल है जैसा आपने फरमाया वह बिल्कुल ठीक है। मैं यह मानता हू कि अगर कारखानेदारो के पास से पैसा नही आता है तो वरकर्स को रिटायर होने पर या कारखाना बन्द होने पर तकलीफ़ जरूर होती है। इसलिए हम सोच रहे हैं कि प्रावीडेंट फड के ट्रस्टीज के मशविरे से कोई रिजर्व फड बनाया जाय जिससे कि इस किस्म की कांटिजेंसीज में काम लिया जा सके। वरकर्स का पूरा पैसा वसूल हो और उनका नुकसान न हो इसकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्द अगर जरूरत हुई तो हम इस कानून में संशोधन के लिए पार्लियामेंट के सामने आयेंगे। अगर रूल्स के मातहत ही हम जरूरी परिवर्तन कर सकेंगे तो हम खुद कर लेंगे। इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी ऐसी मेरी मान्यता है और मैं इसका वचन देता हूं जो वर्कर रिटायर हो चुके हैं, जिनका आपने जिक्र किया है, उनकी संख्या बहुत थोडी होगी अगर होगी तो। इसका कारण यह है कि अभी तक जितनी भी मिलें बन्द हुई हैं, उनमें से एक या दो को छोड कर बाकी सभी ऐसी थी जिन मे कुछ न कुछ माकूल रकम प्राविडेंट फंड की वर्कर्स के खाते में जमा थी और उससे उनको मदद दी गई। जब यह संशोधन आएगा मुझे पता नही पार्लियामेंट उसे मंजूर करती है या नहीं मेरी तो यही इच्छा रहेगी कि इस पर अमल

[श्री आबिद अली]

शुरू से हो ताकि सब वर्कर्स को इस से फायदा पहुंचे। थोड़ा थोड़ा ही सही उनके हिस्से में अभी जो पौने चार परसेंट इंटिरेस्ट आता है वह हर साल जमा हो जाता है। साढ़े तीन परसेंट या जैसा मुनासिब हो उसको मंजूर कर लिया जाए, बाकी का रिजर्व में जाय। उसके मुताबिक तमाम वर्कर्स को जो भी पैसा उनका वसूल होता है, वह उनको मिल जाए और ऐसी कोशिश हो जाए तो अच्छा रहेगा।

मैं आशा करता हूं कि इससे और अधिक कहने की जरूरत नहीं है और माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है और उसके जवाब में मैंने जो कुछ कहा है, उससे संतोष हो जाएगा।

17.31 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, May 5, 1959/Vaisakha, 15, 1881 (Saka).